

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.....जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 99/2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
3.8.19	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 530/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा- बिन्दीन पहाड न0 39 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- बिन्दीन पहाड न0 39 में दिनांक 14.07.2019 को श्री चरण पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री महादेव पहाडिया, पिता-स्व0 मैसा पहाडिया, ग्राम-पत्थरचटी, को मौजा- बिन्दीन पहाड न0 39 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- बिन्दीन पहाड न0 39 बेचिरागी मौजा है। जिसके रैयत के वारिसान अगल-बगल के ग्रामों में निवास करते हैं। उक्त मौजा एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधान का पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महादेव पहाडिया पिता-स्व0 मैसा पहाडिया, ग्राम-पत्थरचटी, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>श्री महादेव पहाडिया एक शिक्षित व्यक्ति है। आवेदक महादेव पहाडिया पिता-मैसा पहाडिया, बिन्दीन पहाड के जमाबंदी रैयत के वंशज है। अतएव श्री महादेव पहाडिया प्रधान बनने योग्य है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री महादेव पहाडिया को मौजा- बिन्दीन पहाड थाना न0 39 में संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>आदेश पर की कार्यवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित</p> <p>3</p>

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।